उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25–7–1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2–8–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11–8–1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 12-बी बी का संशोधन

2—यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12-बी बी में शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों" के स्थान पर शब्द "गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप-प्रधानों" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 में नयी धारा 12-बी सी और 12-बी डी का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 12-बी बी के पश्चात् निम्नलिखित धाराऐं बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

"12-बी सी—(1) निर्वाचन निदेशक (पंचायत) के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों तथा उप प्रधानों के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

निर्वाचन कराने से संबंधित अन्य उपबंध

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

(3) इसी प्रकार निर्वाचन निदेशक (पंचायत) राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

निर्वाचन के सम्बन्ध में पदीय कर्त्तव्य भंग

12-बी डी—(1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने पदीय कर्त्तव्य भंग करने में युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जा सकेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया, दिनांक 21 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने, या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय, और इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'पदीय कर्त्तव्य' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्त्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्त्तव्य नहीं है ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० फै० 176 जनरल (लेग)—1972—1,884+50 (मे०) ।

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT NO. 31 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

AN

ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972. **Short title**

2. In section 12-BB of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "Pradhans of Gaon Sabhas" the words "Pradhans and Up-Pradhans of Gaon Sabhas" shall be *substituted*. **Amendment of section 12-BB of U. P. Act XXVI of 1947.**

3. *After* section 12-BB of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :— **Insertion of new sections 12-BC and 12-BD.**

"12-BC. *Other provisions relating to holding of elections*— (1) Subject to the supervision and control of the Nirvachan Nideshak (Panchayat), the District Magistrate shall supervise the conduct of all elections of members of Gaon Panchayats and Pradhans and Up-Pradhans of Gaon Sabhas in the district.

(2) Every local authority and the management of every educational institution receiving grant-in-aid from the State Government in the district shall, when so required by the District Magistrate make available to him or to any other officer appointed by the District Magistrate as Nirvachan Adhikari such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election.

(3) The Nirvachan Nideshak (Panchayat) may likewise require all or any of the local authorities and the managements of all or any of such institutions as aforesaid in the State to make available to any officer referred to in sub-section (2) such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election, and they shall comply with every such requisition.

(4) Where any employee of any local authority or institution referred to in sub-section (2) or sub-section (3) is appointed to perform any duty in connection with such elections he shall be bound to perform such duty.

12-BD. *Breaches of official duty in connection with elections*—

(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(*For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 21, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 25, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 2, 1972.)

(Received the assent of the Governor on August 11, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 16, 1972.)

(4) The persons to whom this section applies are the Nirvachan Adhikaris, Sahayak Nirvachan Adhikaris, Matdan Adhyakshas, Matdan Adhikaris and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidature, or the recording or counting of votes at an election, and the expression 'official duty' shall for the purpose of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act."

Repeal of U. P. Ordinance 10, 1972.

4. The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 1972, is hereby repealed.

PSUP—A.P. 177 Genl. (Leg.) -1972. 1,852+50. (M.).